पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ओ.ई.एफ़. कानपुर
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA OEF KANPUR

<u>कक्षा 2 से कक्षा 8 में प्रवेश के लिए सूचना</u>

1. कक्षा 2 से कक्षा 8 में प्रवेश के लिए अनंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश दिनांक 18-04-2025 से 26-04-2025 प्रात: 09:00 बजे से अपराहन 12:00 बजे तक किया जायेगा।
2. अनंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थी अपने प्रपत्रों का सत्यापन दिनांक 18-04-2025 से करा सकते हैं।
3. अंतिम तिथि 26-04-2025 के पश्चात प्रवेश पर विचार करना संभव नहीं होगा।
4. अभ्यर्थी विद्यालय वैबसाइट से भी आवेदन की स्थिति स्वयं जान सकते हैं।
5. अभिभावक अपने पाल्य को प्रवेश के दिन अवश्य साथ लाएं।
6. अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेँ नाम होने मात्र से अभ्यर्थी प्रवेश का हकदार नहीं होगा ।
7. जाली दस्तावेजों / तथ्यों का गलत रुप से प्रस्तुतीकरण / निर्धारित समय के अंदर वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध न करा पाना, जैसी स्थितियों में विद्यालय प्रशासन को प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
8. प्रवेश के समय निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।
   - I विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र (नगरपालिका द्वारा जारी इंटरनेट कॉपी / सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति)
   - II निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / फोन बिल / बिजली बिल / गैस कनैक्शन / ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
   - III विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र (इंटरनेट कॉपी)
   - IV विद्यार्थी की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
   - V विद्यार्थी का आधार कार्ड
   - VI अभिभावक का ईमेल
   - VII अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)
   - VIII विभाग द्वारा जारी नवीनतम सर्विस प्रमाण पत्र (डीडीओ के नाम, पद, हस्ताक्षर एवं फोन नं. के साथ)
   - IX विद्यालय से आवास की दूरी का प्रमाण पत्र,
   - X मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग)विकलांग(प्रमाण पत्र, आदि
9. किसी भी अनंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश दिनांक 26-04-2025 के बाद नहीं लिया जायेगा एवं रिक्तियां शेष रहने पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम मे प्रवेश दिया जायेगा।
10. शुल्क का विवरण :-

1	प्रवेश शुल्क	25 रु॰
2	वी वी एन (अप्रैल 2025-जून 2025) 500 रुपये प्रति माह	1500 रु॰
3	कम्प्यूटर फीस (अप्रैल 2025-जून 2025) 100 रुपये प्रति माह	300 रु॰ (कक्षा 3 से 8 के लिए)

11. जब तक कि अभिभावक अपने विभाग से बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते, देय शुल्क मे नियमानुसार कोई भी छूट प्रदान करना संभव नहीं होगा। (कृपया इस आशय का विभागीय डी.डी.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)।
12. देय त्रिमासिक शुल्क का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा (ऑनलाइन अथवा काउंटर पर) किया जाना अनिवार्य है।

प्राचार्य